

श्री ए. भीमि अग्रवाल-अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

भाति अग्रवाल को को करके ए. अग्रवाल दिनांक

22.2.18 को करके

14-18 अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /
दिनांक 18.2.18 को करके

15-18 अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

श्री ए. भीमि अग्रवाल-अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

3-18 अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

दिनांक 3.5.18 को करके

3.5.18 अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

1-6-18 अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

दिनांक 2.3.18 को करके / अग्रवाल
अग्रवाल अग्रवाल-महोदय को ध्यानपूर्वक
शांति को शुभ/एक शीघ्र ही कलम करके /

21/2/18

अग्रवाल (श्री ए.)

अग्रवाल

यह संशोधन तैयार होना आवश्यक है। कार्य
व बारी को विद्यमान की जानी है कि
सिरे से दाना उत्पन्न कर सकते हैं। उक्त
रविवार पर खासियत किया जाना है।
पञ्चावली के सप्त सुभार होकर जाकर
का होकर दारिद्र्य दूर हो


K. S. S. S. S. S.

3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 331, 332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3477, 3479, 3484, 3485 कुल कितना 75 कुल क्षेत्रफल 35.57 हेक्टर में खातेदारी लोहडेरान पुत्र रामजगतार दर्ज है। उक्त भूमि में लोहडे पुत्र रामजगतार तथा लोहडेरान पुत्र रामजगतार नाम सही नहीं है, सही नाम शिवचरण पुत्र ओताही है। लोहडे, लोहडेरान व शिवचरण एक ही व्यक्ति है। अपीलाट को सीधिलक दस्तावेज राजकीय न्यायिक विद्यालय पहाडी में शिवचरण पुत्र ओताही दर्ज है। ग्राम प्रवायत पहाडी में भी प्रमाणपत्र दिनांक 30.05.2018 में भी लिखा है कि लोहडे व शिवचरण एक ही व्यक्ति के नाम है तथा परिवार जमान कर्डे, भगवारा कर्डे, जगत निवाचन आयोग, जगतार कर्डे, रैक पास युक्त में भी सही शिवचरण पुत्र ओताही नाम दर्ज है। अपीलाट की अपने पिता की मृत्यु के समय जमान उता ही तथा बहागर्डे से छोटा या इस्लिके नाम में लोहडे के नाम से भी जाना जाता था, लोहडे रामजगतार नाम नहीं है तथा सिलिक गाड़ी है कि अपील अपीलाट स्वीकार किया जाकर जमानकरण संख्या 434 दिनांक 20.02.1973 ग्राम पहाडी तहसील टोकनीन जगत नाम लोहडे व लोहडेरान पुत्र रामजगतार के स्थान पर शिवचरण पुत्र ओताही दर्ज किच जाये तथा जमानदी ग्राम पहाडी संजा 2072 में 2075 के खाना संख्या 263 में वर्णित खसरा नम्बरान 1920, 2772, 3037/4972, 3203, 3254, 3205, 3206, 3207, 3227, 3228, 3229, 3033, 3259, 3634, 4061 कुल कितना 15 कुल क्षेत्रफल 2.33 हेक्टर में खातेदारी लोहडे पुत्र रामजगतार तथा खाना संख्या 551 में वर्णित खसरा नम्बरान 3151, 3152, 3153, 3250, 3051, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 331, 332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3477, 3479, 3484, 3485 कुल कितना 75 कुल क्षेत्रफल 35.57 हेक्टर में खातेदारी लोहडेरान पुत्र रामजगतार के स्थान पर शिवचरण पुत्र ओताही जाति गीना निवासी पहाडी तहसील टोकनीन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोकनीन को प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपोन्ड को नोटिस जारी किये गये। रेसपोन्ड स्वयं उपस्थित हुआ। फकील अपीलाट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील अपीलाट स्वीकार की जावे।




 उपजिला कार्यालय
 देहरादून (दहीली)

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली



क्र. नं०- 63 / 2018

तारीखरज- 04.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उपनाम- भरतलाल बनाम गिराज वगैरे

दाया बायत इस्तारारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,53,88

दिनांक	फर्द अहकाम	
04.06.2018	<p>कादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दाया बायत इस्तारारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,53,88 तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दाया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिखे सम्मन कलस कर पत्रापत्ती दिनांक 12.7.18 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>	<p style="text-align: center;"> 1993-96 4/6/18 </p>
14-6-18	<p>कादी की ओर से शर्चना पत्र कलस राजीनामा हो जाने सुकदमा बागे नष्ट भलेने स्थाई निषेधाज्ञा बाहे गिहल तलखी पेन किया। पत्रापत्ती तलख की गई। कादी की ओर से सुकदमा बागे नष्ट भलेने व स्थाई निषेधाज्ञा के कलस पर दाया कादी स्थाई निषेधाज्ञा जाता है। पत्रापत्ती कलस सुकदमा बागे नष्ट से कम होकर स्थाई निषेधाज्ञा के</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>	